(3)

झारखण्ड सरकार

पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल)
(पंचायत राज निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या – 95 /   दिनांक – 28/1/04

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 114 (1), पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 की उपधारा 123 (बी.) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 80 (बी) के प्रावधानानुसार पंचायतों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्) एवं नगरनिकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा वित्त संबंधी मामालों पर सरकार को परामर्श एवं अनुशंसा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड का गठन किया जाता है।

(2) वित्त आयोग के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

(3) निदेशक, पंचायत राज निदेशालय, झारखण्ड, राँची इसके पदेन सचिव होंगे।

(4) राज्य वित्त आयोग झारखण्ड निम्नलिखित विषयों पर अपनी अनुशंसा देगा :–

(क) वैसे सिद्धांत जो विनियमित करें –

(i) राज्य और जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क, पथ कर तथा फीस, के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके अपने अपने अनुपात के अनुसार वितरण।

(ii) जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण।

(iii) राज्य की संचित निधि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान।

(ख) जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय।

(ग) नगर निकायों द्वारा इस संबंध में संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुशंसा एवं परामर्श देना।

(घ) जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

कृ0पृ0उ0............

5. राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड का कार्यकाल गठन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगा।

(संचिका सं0 –3प/नि1–178/2001)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27/1/2004

आयुक्त एवं सचिव,

पंचायती राज, एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग
झारखण्ड रांची।

ज्ञापांक :– 3प/नि1–178/2001......95....../ग्रा0 प0 रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को गजट के अगले अवधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी पांच सौ प्रतियां पंचायत राज निदेशालय को भेजने की कृपा करेंगे।

27/1/2004

आयुक्त एवं सचिव

पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :– 3प/नि1–178/2001......95....../ग्रा0 प0 रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभागीय सचिव/ विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, पंचायत राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/2004

आयुक्त एवं सचिव

पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :– उप/नि1–178/2001........95................/ ग्रा0 प0 रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड विधानसभा/निबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) आप्त सचिव को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव

पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक :– उप/नि1–178/2001..........95......................./ ग्रा0 प0 रांची, दिनांक – 28/1/04

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवम् रोजगार मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली एवम् स्थानीय आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त एवं सचिव

पंचायती राज, एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल)
झारखण्ड, रांची।